न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

प्र0नं0 – 58/21

विनोद कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास, चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास, चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सतबीरसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास, चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. ओ0बी0सी0 गांधीबडी जरिये शाखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 गांधीबड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 12/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एसडीआर के खाता सं0 9/12 के मु0नं0 2 के किला नं0 20 की 0.2530 है0, नहरी किला नं0 21 की 0.2530 है0 नहरी कुल किता 2 की 0.5060 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा चक 10 एसडीआर के खाता सं0 20/24 के मु0नं0 2 के किला नं0 6, 15, 16, 25 प्रत्येक सम्पूर्ण, कुल किता 4 की 1.0120 है0 नहरी, मु0नं0 11 के किला नं0 5, 6, 15 प्रत्येक सम्पूर्ण, कुल किता 3 की 0.7590 है0 नहरी, मु0नं0 40 के किला नं0 2 की 0.2530 है0 जिसमें गै0मु0 खाला 0.0250 है0, बारानी 0.2280 है0 नं0 3 की 0.2530 है0, जिसमें गै0मु0 खाला 0.0250 है0, बारानी 0.2280 है0, किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक सम्पूर्ण 22/1 की 0.1270 है0, किला नं0 23 की 0.2530 है0 बारानी कुल किता 10 की 2.4030 है0 जिसमें गै0मु0खाला 0.0500 है0, बारानी 2.3530 है0, कुल किता 17 कुल क्षेत्रफल 4.1740 है0, जिसमें नहरी 1.7710 है0, बारानी 2.3530 है0 गै0 मु0 खाला 0.0500 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है उक्त कृषि भूमि वादी के दादा हरदयाल की हुआ करती थी जो उसकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम व उसके भाई कृष्ण, राजेन्द, रामसिंह व रामगोपाल के नाम दर्ज हो गई। ... दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की सहदायिकी कृषि भूमि ... जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 का ...

उपरोक्त आराजी स... सहदायिकी कृषि भूमि है ... व प्रतिवादीगण ने संयुक्त रूप से काश्त कर उ... पैदा हुई फसल की ... प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मिन आराजी जरिये बैयनामा क्रय की है। रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

चक नं0 7 एसडीआर के खाता सं0 92/87 के मु0नं0 25 के किला नं0 8, 9, 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक सम्पूर्ण कुल किता 11 कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 नहरी, मु0नं0 26 के किला नं0 12 ता 18, 24, 25 प्रत्येक सम्पूर्ण, कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 नहरी खाते का कुल योग कुल किता 21 कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 नहरी मुस्तर्का खाता की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.404 है0 कृषि भूमि दर्ज है तथा चक नं0 7 एसडीआर के खाता सं0 19/20 के मु0नं0 28 के किला नं0 1 ता 13, कुल किता 13 कुल क्षेत्रफल 3.1360 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त आराजी भी संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि है, क्योंकि उपरोक्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खरीद की गई है।

वादी व प्रतिवादीगण ने वाद भूमि बाबत बंटवारा कर रखा है और बंटवारा में चक 10 एसडीआर के खाता सं0 9/12 व चक 10 एसडीआर के खाता सं0 20/24 की कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 2 काश्त कर रहे है। इस भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है व चक 7 एसडीआर के खाता सं0 19/20 व खाता सं0 92/87 जो प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम के नाम दर्ज है यह आराजी प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम ही काश्त करता है और उसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रखी जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी विनोद कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रति प्रमाणितजमाबन्दी चक 10 एसडीआर खाता सं0 9/12 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, सत्यप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 एसडीआर के खाता सं0 20/24 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 10 सरदारपुरा सम्वत् 2016 प्रदर्श 4, प्रतिलिपि कम्प्युटराईज जमाबन्दी चक 7 एसडीआर खाता सं0 92/87, 19/20 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि वादी के दादा हरदयाल की हुआ करती थी जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम व उसके भाई कृष्ण, राजेन्द्र, रामसिंह व रामगोपाल के नाम दर्ज हो गई तथा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा है।

हमने वकील वादी के बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 10 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम से दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने वाद में अंकित किया है कि वाद भूमि वादी के दादा हरदयाल की हुआ करती थी जो उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 छोटूराम व उसके भाई कृष्ण, राजेन्द्र, रामसिंह व रामगोपाल के नाम दर्ज हो गई तथा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 10 सरदारपुरा सम्वत् 2016 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि चक 10 एसडीआर के खाता सं0 20/24 की 4.1740 है0 वादी के दादा हरदयाल वल्द चेतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे उक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा चक 10 एसडीआर के खाता सं0 9/12 की शेष कृषि भूमि बाबत वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में छोटूराम के वारिसान में पत्नि शारदा देवी एवं दो पुत्र विनोद कुमार व सतबीर सिंह होना इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 एसडीआर के खाता सं0 20/24 के मु0नं0 2 के किला नं0 6, 15, 16, 25 प्रत्येक सम्पूर्ण, कुल किता 4 की 1.0120 है0 नहरी, मु0नं0 11 के किला नं0 5, 6, 15 प्रत्येक सम्पूर्ण, कुल किता 3 की 0.7590 है0 नहरी, मु0नं0 40 के किला नं0 2 की 0.2530 है0 जिसमें गै0मु0 खाला 0.0250 है0, बारानी 0.2280 है0 किला नं0 3 की 0.2530 है0, जिसमें गै0मु0 खाला 0.0250 है0, बारानी 0.2280 है0, किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक सम्पूर्ण किला नं0 22/1 की 0.1270 है0, किला नं0 23 की 0.2530 है0 बारानी कुल किता 10 की 2.4030 है0 जिसमें गै0मु0खाला 0.0500 है0, बारानी 2.3530 है0, कुल किता 17 कुल क्षेत्रफल 4.1740 है0, जिसमें नहरी 1.7710 है0, बारानी 2.3530 है0 गै0 मु0 खाला 0.0500 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 ने उपर वर्णित वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि ओ0बी0सी0 बैंक शाखा गांधीबडी के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 10 एसडीआर के खाता सं0 9/12 व चक 7 एसडीआर की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रहेगी। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़